न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 18/2019

हरविन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जट सिख निवासी चक 11 जी छोटी तह0 व जिला श्री गंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. अजायब सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जट सिख निवासी चक 11 जी छोटी तह0 व जिला श्री गंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।
3. इकबाल कौर पत्नी करनैल सिंह, पुत्री वजीर सिंह जट सिख निवासी 11 जी छोटी तह0 व जिला श्री गंगानगर।
4. कुलवीर सिंह पुत्र करनैल सिंह जट सिख निवासी 11 जी छोटी तह0 व जिला श्री गंगानगर।
5. मलकीत कौर पुत्री वजीर सिंह(मृतक)

5/1 गुरमीत कौर पत्नी स्व0 नायब सिंह पुत्र मलकीत कौर जट सिख निवासी मोहनपुरा तह व जिला श्री गंगानगर ।

5/2 सुरेन्द्र सिंह स्व0 नायब सिंह पुत्र मलकीत कौर जट सिख निवासी मोहनपुरा तह0 व जिला श्री गंगानगर।

5/3 रसु पुत्री स्व0 नायब सिंह पत्नी किन्दर सिंह जट सिख निवासी चक 10 क्यू तह व जिला श्री गंगानगर।

5/4 मेजर सिंह पुत्र स्व0 मलकीत कौर पुत्री वजीर सिंह जट सिख निवासी मोहनपुरा तह0 व जिला श्री गंगानगर।

5/5 गुरदीप सिंह पुत्र स्व0 मलकीत कौर पुत्री वजीर सिंह जट सिख निवासी मोहनपुरा तह0 व जिला श्री गंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता
2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता
3. श्री गुरदास सिंह ढिल्लो
4. पैरोकार राज

– – प्रार्थी

– – अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 5/1 से 5/5

– – अप्रार्थी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested

—:: आदेश ::—

दिनांक :—17.02.2020

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी चक 11 जी छोटी तह0 श्री गंगानगर का स्थायी निवासी तथा काश्तकार पेशा है तथा उसकी खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थीयान 3 ता 5 के साथ मुश्तरका खाता में चक 5 एच छोटी के खाता सं0 5/6, मु0 न0 17 के किला न0 1 ता 25, कुल 6.325 हे0 खातेदारी दर्ज है, जमाबंदी की नकल शामिल है, जिसमें प्रार्थी के नाम 3.162 हे0 अर्थात् 12 बीघा 10 बिस्वा है तथा उसके कब्जा में किला न0 1 ता 13 का रकबा चला आ रहा है। मु0 न0 17 के साथ चिपता हुआ मु0 न0 5 है तथा मु0 न0 5 के साथ चिपता हुआ, मु0 न0 4 है, स्वीकृत रास्ता मु0 न0 4 के किला न0 25 की पूर्वी दिशा तक चल रहा है, पटवारी हल्का द्वारा जारी आंशिक नक्शा शामिल है। प्रार्थी के रकबा के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में आने—जाने के लिए मु0 न0 4 के किला न0 25 तक चल रहे रास्ता से मु0 न0 5 के किला न0 21 की पश्चिमी—दक्षिणी दिशा में 16.5 गुणा 16.5 फीट रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक है क्योकि मु0 न0 17 प्रार्थी व अप्रार्थीयान 3 ता 5 के नाम मुश्तरका दर्ज है, अतः इस रास्ता से अप्रार्थीयान 3 वा 4 को भी लाभ होगा तथा उन्हे भी रास्ता स्वीकृत करवाने में कोई आपति नहीं है। उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता में आने वाली भूमि के सम्बंध में प्रार्थी मुआवजा डी एल सी रेट से अथवा जो न्यायालय तय करे देने को तैयार है, जिससे अप्रार्थी सं0 1 को कोई हानि नहीं हो सकती। प्रस्तावित रास्ता के साथ मु0 न0 17 के किला न0 1 में जो खाला चल रहा है, उसमें पुलिया भी प्रार्थी अपने खर्चा पर बनवा देगा। इस प्रकार रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक है।प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 5ए छोटी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 2/4, मु0 न0 5 के किला न0 21 की पश्चिमी—दक्षिणी दिशा में 16/2 गुणा 16/2 फ़ीट स्वीकृत करने तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.05.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार चक 5 एच छोटी खाता संख्या—5/6 मुरब्बा नम्बर—17 में 6.332 हैक्टेयर रकबा सयुंक्त खाते में दर्ज है। सयुंक्त खाता होने की वजह से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी का यह कहना कि किला नम्बर—1 ता 1 3 प्रार्थी के कब्जे में है। क्योंकि सयुंक्त खाता होने के कारण प्रत्येक का एक—एक इन्च पर अधिकार है। जब तक खाते का विभाजन नहीं हो जाता तब तक उ[illegible] पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थना प[illegible] है। प्रार्थी को रास्ता इसके खेत के साथ चिपता हुआ है तथा यह कहना [illegible] है कि मुरब्बा नम्बर—5 का किला नम्बर—21 में कोई रास्ता हो, बल्कि [illegible]की खुद की जमीन में रास्ता है जो पहले से चल रहा है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। जबकि प्रार्थी को अपनी जमीन में जाने के लिए रास्ता खाले से चिपता हुआ रास्ता है वह अप्रार्थी की भूमि से किसी प्रकार से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है ना ही अप्रार्थी डी.एल.सी. रेट लेना चाहता है। बाकी जो मद में दर्ज किया गया है स्वीकार नहीं है। प्रार्थना अतिरिक्त कथन प्रार्थी संख्या—1 व अप्रार्थी संख्या—3 ता 4 को मुरब्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर–17 में जाने के लिए रास्ता है तथा पूर्व में उसी रास्ते में चल रहे थे इसलिए अप्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार से रास्ता स्वीकृत दनहीं किया जा सकता है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से दिनांक 08.07.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसके तथ्यानुसार प्रार्थी ने चक 5 एच छोटी के मु0 न0 17 की भूमि उसके व अप्रार्थीयान सं0 3 ता 5 के नाम दर्ज होने का कथन किया है, जो कि प्रार्थी, हम अप्रार्थीयान व स्व0 मलकीत कौर के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है। मलकीत कौर का देहांत हो चुका है तथा उसके वारिसान रास्ता रास्ता स्वीकृत करवाने में सहमत है। मलकीत कौर के वारिसान भी रास्ता स्वीकृत करवाने में सहमत है व उनको भी लाभ होगा। माननीय न्यायालय जो भी भावजा तय करेगी, हम अप्रार्थीयान अपने हिस्सा की मुआवजा राशि देने को तैयार है। अतः लिहाजा जवन प्रार्थना–पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जावें क्योकि इसके अलावा प्रार्थी हम अप्रार्थीयान स्व0 मलकीत कौर के वारिसान के रकबा के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है।

दिनांक 6.12.2019 को अप्रार्थी 5/1 से 5/5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 1 स्वीकार है। 2. यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 3 स्वीकार है। इस मद के जवाब में निवेदन है कि प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवाने में हम अप्रार्थीयान भी प्रार्थी के साथ सहमत है क्योकि हमारी भूमि के लिए भी प्रस्तावित रास्ता की ही आवश्यकता है तथा नियमानुसार जो मुआवजा राशि प्रार्थीयान के हिस्सा की बनेगी उसको अदा करने के लिए तैयार है। यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 4 भी स्वीकार है। प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवाने में हम अप्रार्थीयान भी प्रार्थी के साथ सहमत है क्योकि हमारी भूमि के लिए भी प्रस्तावित रास्ता की ही आवश्यकता है तथा नियमानुसार जो मुआवजा राशि प्रार्थीयान के हिस्सा की बनेगी उसको अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 5 कानूनी है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के अलावा हम अप्रार्थीयान की भूमि के लिए भी आवश्यक है, अतः हम अप्रार्थीयान प्रस्तावित रास्ता में आने वाली भूमि का मुआवजा देने के लिए तैयार है, अतः चक 5 एच छोटी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 2/4, मु0 न0 5 के किला न0 21 की पश्चिमी दक्षिणी दिशा में 16.5 गुणा 16.5 फीट रास्ता स्वीकृत किया जावें।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई।

बहस प्रार्थना पत्र 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम सुनी गई। तहसीलदार की रिपोर्ट में खाले के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं है। कि बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने खाले के उपर से रास्ता चाहा है जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। मौके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए नायब तहसीलदार चूनावढ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा अनुतोषित रास्ता खाले के उपर से चाहा गया है। वर्तमान में खाला काम में आ रहा है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड मु.नं. 17 किला नं. 1 ता 5 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा स्वीकृतशुदा खाला है। मौका पर प्रार्थी द्वारा बताया गया कि वह वर्तमान में मु.नं. 27 में से होकर अपने खेत में आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rathu
Date: 2021.06.04 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested

उभ्यपक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया जाता है। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी वर्तमान में मुरबा नम्बर 27 से होकर अपने खेत में आना जाना कर रहा है। साथ ही प्रार्थी द्वारा खाले की भूमि के उपर से रास्ता चाहा गया है। यह खाला राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतशुदा है एवं वर्तमान में इससे सिंचाई हो रही है। ऐसी स्थिति में खाले के उपर से रास्ताय स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान कश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिंनाक 17.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.04 10:13:59 IST
Reason: SelfAttested